



- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया गया है।
- सरकार ने कल लोकसभा में रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन— ग्रामीण— विधेयक—2025 पेश किया। यह विधेयक मनरेगा 2005 का स्थान लेगा।
- “पशु पुष्टि किट” पायलट परियोजना के तहत मुख्य सचिव ने नबाग्राम गांव में विशेष पोषक पूरक किट का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया।
- प्रशासन की ओर से ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस को बढ़ावा देने के लिए नए नियम और एकल खिड़की सेवाएं शुरू की गई ह।



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया गया है। भारत और इथियोपिया के संबंधों को मजबूत करने और एक वैश्विक राजनेता के रूप में श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के लिए उन्हें यह सम्मान इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉ. अबी अहमद अली ने दिया। श्री मोदी अफ्रीकी देश इथियोपिया की दो दिन की यात्रा पर हैं। श्री मोदी ने कहा कि इथियोपिया विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और यह सम्मान प्राप्त करना उनके लिए गौरव की बात है। इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी और इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉ. अबी अहमद अली के बीच हुई बातचीत में दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री, आज इथियोपिया की संसद के सत्र को संबोधित करेंगे।



सरकार ने कल लोकसभा में रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन— ग्रामीण— विधेयक—2025 पेश किया। यह विधेयक बीस साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005—मनरेगा का स्थान लेगा। विधेयक विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप ग्रामीण विकास की रूपरेखा स्थापित करेगा। विधेयक के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करने वाले वयस्क सदस्य को 125 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें जल सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। विधेयक पेश करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

के नेतृत्व में गरीबों के उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि इस विधेयक के तहत एक लाख 51 हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। विधेयक में कृषि के अधिक व्यस्त सीजन के दौरान खेतिहर मजदूरों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इसके तहत केंद्र सरकार मजदूरी दरें अधिसूचित करेगी और अधिसूचना जारी होने तक मौजूदा मनरेगा मजदूरी दरें लागू रहेंगी। यदि 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो राज्य सरकारें निर्धारित दरों पर बेरोजगारी भत्ता देंगी।



इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत इंडिया-एआई मिशन ने कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के वास्तविक प्रभावों पर संकलन के लिए वैश्विक स्तर पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। मंत्रालय इस मिशन को महाराष्ट्र सरकार के एआई और कृषि प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र के सहयोग से चला रहा है और इसे विश्व बैंक और निजी संस्थानों से मदद प्राप्त है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस पहल का उद्देश्य फसल नियोजन को बेहतर बनाने, कृषि कार्यों को सुदृढ़ करने, बाजार तक पहुंच बढ़ाने और किसानों की वित्तीय स्थिरता में सुधार करने में लगे एआई समाधानों का दस्तावेजीकरण करना है। यह संकलन नवप्रवर्तकों, शोधकर्ताओं और अभ्यासकर्ताओं को वास्तविक कृषि एआई समाधानों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करने के लिए बनाया गया है।



द्वीप समूह में पशुधन उत्पादकता बढ़ाने और डेयरी किसानों की आजीविका में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए "पशु पुष्टि किट" पायलट परियोजना के तहत मुख्य सचिव डॉ. चंद्र भूषण कुमार ने मध्योत्तर अंडमान के नबाग्राम गांव में विशेष पोषक पूरक किट का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा विभाग द्वारा आयोजित 168 बांझपन उपचार शिविरों के सर्वेक्षण के दौरान द्वीपों में पशुओं में बांझपन का मुख्य कारण कुपोषण पाया गया। इसे देखते हुए इस किट को पशुओं की पोषण संबंधी कमियों को दूर करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इसकी लागत लगभग 210 रुपये है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि दूध की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार से होने वाला वित्तीय लाभ सीधे किसानों को मिलना चाहिए। इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद, इसे द्वीप समूह के सभी दूध उत्पादक गांवों में विस्तारित किया जाएगा।



अंडमान निकोबार प्रशासन द्वारा **Ease of Doing Business** को बढ़ावा देने और निवेश के लिए कदम उठाए गए हैं। इसके तहत निवेशकों के लिए एकल खिड़की सुविधा सेवाएं शुरू की गई हैं। 7 विभागों की 29 सेवाएं—जैसे फैक्ट्री लाइसेंस, बिजली कनेक्शन, फायर आदि अब विशेष रूप से इसी पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध हैं। दूसरे चरण में 26 और सेवाओं को जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। 50 व्यावसायिक और 32 नागरिक-केंद्रित सेवाओं के दस्तावेजीकरण को कम और डिजिटल किया गया है। भूमि पंजीकरण के लिए वैल्यूएशन सर्टिफिकेट, नो ड्यूज और नॉन-एन्कम्ब्रेंस सर्टिफिकेट की आवश्यकता खत्म कर दी गई है। प्रशासन छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और पुराने कानूनों को हटाने पर काम कर रहा है। फैक्ट्रियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में महिलाओं को रात की पाली शाम 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक करने की अनुमति दी गई है। दैनिक कार्य घंटों को 9 से बढ़ाकर 10 घंटे किया गया है और ओवरटाइम की सीमा भी बढ़ाई गई है। दुकानों के पंजीकरण के लिए न्यूनतम श्रमिकों की सीमा बढ़ाकर 20 कर दी गई है। फैक्ट्री लाइसेंस के नवीनीकरण की अवधि को 1 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। पानी और बिजली के कनेक्शन के लिए समर्पित ऑनलाइन पोर्टल लाइव हैं। औद्योगिक संपदाओं के लिए GIS डेटाबैंक वाला पोर्टल भी तैयार किया गया है। अंडमान निकोबार की रैंकिंग **BRAP** में 31 से सुधरकर 22 हो गई है। द्वीपसमूह को "उभरते व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र" और "शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वाले" के रूप में सम्मानित किया गया है। मुख्य सचिव और उद्योग सचिव की अध्यक्षता में टास्क फोर्स द्वारा पहचाने गए 23 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा की गई है।



लिटिल अंडमान के सामुदायिक विकास खंड की ओर से "सतत सामुदायिक विकास के लिए ग्रामीण युवाओं और पंचायती राज संस्थाओं के बीच तालमेल को बढ़ावा देना" विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना था, ताकि गांवों का समावेशी और सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पंचायत प्रमुख ने ग्रामीण युवाओं के भीतर नेतृत्व गुणों को विकसित करने में पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। खंड विकास अधिकारी ने अपने संबोधन में जमीनी स्तर के शासन और विकास की पहलों में ग्रामीण युवाओं की सक्रिय भागीदारी को आवश्यक बताया।

उधर, समग्र शिक्षा के तहत खंड विकास कार्यालय, डिगलीपुर में 'श्रवण बाधित बच्चों के समावेश' पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों और संबंधित हितधारकों को उन कौशलों और तकनीकों से लैस करना था। इस अवसर पर सीनियर सेकेण्डरी स्कूल के उप-प्रधानाचार्य कलाशशि सरकार ने समावेशी शिक्षा के महत्व और श्रवण बाधित बच्चों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप की आवश्यकता पर विशेष बल दिया।

